न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपशहर, बुलन्दशहर।
पीठासीनः विनीत चौधरी, (एच0जे0एस0),
(J.O.Code No-UP6365)
सत्रवाद संख्याः 120 सन 2022
CNR No- UPBU-70002712022

उ0 प्र0 राज्य ....**अभियोगी**

बनाम्

सोनू उर्फ कालू पुत्र छोटेलाल निवासी दानपुर थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर। ....**अभियुक्त**

मु0 अ0 सं0 251 सन 2022
अन्तर्गत धारा 323,354,376,504भा0 द0 सं0
थाना–डिबाई, जिला बुलन्दशहर।

निर्णय

घटना की तिथि	दिनांक 25.05.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	दिनांक 25.05.2022
संज्ञान लेने की तिथि	दिनांक 09.08.2022
सत्र सुपुर्दगी आदेश की तिथि	दिनांक 24.09.2022
आरोप विरचन की तिथि	दिनांक 07.10.2022
निर्णय की तिथि	दिनांक 01.4.2025

1. अभियुक्त सोनू उर्फ कालू के विरूद्ध मु0 अ0 सं0 251 सन 2022 अन्तर्गत धारा 323,354,376, 504 भा0 दं0 सं0 थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में आरोप पत्र प्रदर्श क–6 विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मामले का संज्ञान लेने के पश्चात् अभियुक्त को धारा 207 द0 प्र0 सं0 के तहत नकलें प्रदान करते हुये सत्र सुपुर्द किये जाने का आदेश पारित किया गया, जो सत्र परीक्षण के रूप में पंजीकृत हुआ तथा अन्तरित होकर विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि पी0 डब्लू01 वादिनी मुकदमा के द्वारा लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 चौकी प्रभारी चौकी दौलतपुर खुर्द थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर को संबोधित करते हुये इस आशय की दी गयी कि दिनांक 25.05.2022 को समय करीब 9:30 बजे वादिनी खेत पर जा रही थी। अचानक सानू उर्फ कालू पुत्र छोटेलाल निवासी दानपुर ने

Digitally signed by VINEET CHAUDHARY
Date: 2025.03.29 16:29:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादिनी का हाथ पकड लिया और छेडछाड करने लगा उसने अपनी जान बचाकर और शोर मचाकर भाग आई और वादिनी की मारपीट की। अतः उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–7 अभियुक्त सोनू उर्फ कालू के विरूद्ध दिनांक 25.05.2022 को समय 19:36 बजे पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्ट उसी समय कायमी जी0 डी0 प्रदर्श क–8 में की गयी। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक श्री संदीप कुमार के सुपुर्द की गयी, जिनके द्वारा घ टना का नक्शा नजरी तैयार किया गया, वादिनी मुकदमा, गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सोनू उर्फ कालू के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्शक–6 में न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्त सोनू उर्फ कालू के विरूद्ध दिनांक 07.10.2022 को अन्तर्गत धारा 323, 354, 376, 504 भा0 दं0 सं0 के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार करते हुये विचारण की मांग की गयी।

5. अभियोजनपक्ष द्वारा द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु परीक्षित साक्षियों का विवरण निम्नप्रकार हैः–

क्रम सं0	साक्षियों के नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्लू0.1	पीडिता	वादिनी मुकदमा
पी0डब्लू0.2	पति पीडिता	साक्षी
पी0 डब्लू0.3	सास पीडिता	साक्षी
पी0 डब्लू0.4	डा0 आनन्द शमनम	चिकित्सक साक्षी
पी0 डब्लू0.5	निरीक्षक संदीपक कुमार	विवेचक
पी0 डब्लू0.6	कां0 क्लर्क अरूण	चिक लेखक

6. अभियोजनपक्ष द्वारा निम्न अभियोजन प्रपत्रों को साबित कराया गया है–

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श क–1/पी0 डब्ल01	तहरीर
2.	प्रदर्श क–2/पी0 डब्लू01	बयान पीडिता 164 द0 प्र0सं0

3.	प्रदर्श क–3 / पी0 डब्लू04	पर्चा
4.	प्रदर्श क–4 / पी0 डब्लू04	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट
5.	प्रदर्श क–5 / पी0 डब्लू05	नक्शा नजरी
6.	प्रदर्श क–6 / पी0 डब्लू05	आरोप पत्र
7.	प्रदर्श क–7 / पी0 डब्लू06	चिक एफ0 आई0 आर0
8.	प्रदर्श क–8 / पी0 डब्लू06	कायमी जी0 डी0

7. अभियोजन साक्षी सं01 वादी मुकदमा/ पीडिता द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि घटना दिनांक 25.05.2022 की सुबह 9–9:30 बजे की है। वह उस दिन खेत पर निहार काटने गई थी। वहां पर सोनू उर्फ कालू पुत्र छोटे लाल जो दानपुर का रहने वाला है, आया और उसके साथ छेडछाड करने लगा तथा उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ बलात्कार किया। उसने शोर शराबा किया तो वहां कुछ लोग आ गये। वह मुल्जिम वहां से भाग गया। वह घबराती हुई घर पर आयी और उसने घटना के बारे में परिवारीजन व सास को बताया। फिर उसके घर वालों ने कार्यवाही कराते हुये उसे चौकी पर लाऐ। उसने वहां पर तहरीर दी थी। उसने तहरीर में सारी बातें लिखा दी थी। तहरीर उसने थाने पर लेडीज के माध्यम से तहरीर लिखायी थी। जो उसने बोला वही बात उन्होंने लिखी थी। तहरीर गवाह को पढकर सुनाई सुनाई गई तो इसमें कहा कि उसने बलात्कार वाली बात बतायी थी। यदि तहरीर में नहीं लिखी है तो वजह नहीं बता सकती। साक्षी ने तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। थाने पर उसका बयान एक पुलिस वाली ने लिया था। उस पुलिस वाली को सारी बातें बता दी थी। लेकिन वह घबरायी हुई थी। सारी बातें नहीं बतायी थी। गवाह को उसका उक्त लिखाया गया बयान पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि वह उस समय घबरायी हुई थी सारी बातें नहीं बतायी। उसने अपनी सारी बातें आनी सास व हसबेण्ड को बतायी थी। पत्रावली पर मौजूद 8ए देखकर कहा कि यह वही बयान है जो उसने पुलिस को दिया था। पुलिस वाले उस 5–6 दिन बाद फिर कहां 2–3 दिन बाद उसका मेडीकल कराने ले गये थे उसका मेडीकल हुआ था। उसका बयान भी कराया था। मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसका बयान कराया था। उसने जज साहब को सारी बाते बता दी थी। साक्षी ने बयान धारा 164 द0 प्र0 सं0 को बतौर प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। दरोगाजी ने घटना

के बारे में पूछताछ करने घर पर आये थे। वह उसे घटनास्थल पर भी ले गये थे। दरोगाजी को उसने घटना वाली जगह बता दी थी। उसकी निशान देही पर ही दरोगाजी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया था। पत्रावली पर पेपर सं07 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही नक्शा नजरी है जो दरोगाजी ने उसकी निशान देही पर बनाया था। हाजिर अदालत मुल्जिम को देकर गवाह ने कहा कि यह वही सोनू है जिसने उसके साथ बिना उसकी मर्जी के बलात्कार किया था।

8. अभियोजन साक्षी सं0 2 पति पीडिता द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि घटना दिनांक 25.05.2022 सुबह 9:30 बजे की है। वह उस समय घ ार पर था। उसकी पत्नी खेत पर चारा काटने गयी थी। जब वो खेत से घ ार पर लौटकर आयी तो बदहवाश स्थिति में थी। उसने उसे और उसकी मां को अपने साथ हुई घटना को बताया तो उसने बताया कि जब वह खेत पर गयी थी, तो सोनू उर्फ कालू पुत्र छोटे लाल जो उसका पीछा करते हुये खेत पर पहुंचा, उसने उसकी पत्नी के साथ उसकी बिना मर्जी के जबरन छेडखानी करते हुये, खेत में बलात्कार किया। उसने खेत पर शोर भी मचाया था, वहां खेत पर कुछ लोग आ गये तो उसकी पत्नी के साथ बलात्कार करके भाग गया था। पत्नी ने घबराते हुये उसे व उसकी मां को सारी बातें बतायी। वह अपनी पत्नी को लेकर दौलतपुर चौकी गया था। वहां पर उसने घटना के बारे में पुलिस को बताया। चौकी प्रभारी ने उसकी पत्नी से घटना के बारे में पूछा, उसकी पत्नी ने थाने/चौकी पर मौजूद किसी व्यक्ति से अपनी घटना की रिपोर्ट लिखवायी। रिपोर्ट की तहरीर एक कागज पर लिखवाकर दी। उसकी पत्नी घबरायी हुई थी। उसने अपने साथ सोनू उर्फ कालू के द्वारा बलात्कार होने के बारे में भी बताया था। उसकी पत्नी केवल अपना नाम, हस्ताक्षर कर ये लिख सकती है कि वह ज्यादा पढ नहीं पाती है। उसकी पत्नी का वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने भी बयान लिया था। उनकी रिपोर्ट थाने पर दर्ज हो गयी थी। शाम को रात्रि में थाने भी गये थे। उसकी पत्नी को महिला पुलिसकर्मी सी0 एस0 सी0 डिबाई ले गयी थी। वहां पर उसका मेडीकल कराया था। वह भी साथ गया था। लेकिन बाहर खडा था। उसकी पत्नी का पुलिस ने मजि0 न्यायालय में घ ाटना के एक सप्ताह बाद बयान भी कराया था। विवेचक संदीप कुमार

तौमर एस0 आई0 ने उसका व उसकी पत्नी का बयान भी लिया था। जो घ ाटना के तीसरे दिन लिया था। उसी दिन दरोगाजी उसे व उसकी पत्नी को खेत जहां पर घटना हुई थी वहां भी ले गये थे। दरोगाजी ने भी उसकी पत्नी का बयान लिया था। इस घटना का अभियुक्त सोनू उर्फ कालू उसके ताउ के लडके का दोस्त था जिसकी वजह से वह कभी भी उससे भी बातें करता था। इस कारण तथा उसका गांव का होने की वजह से उसकी पत्नी को एक दो बार देखा था। कभी कभी वो फोन पर उससे बातें भी करता था। उसे नहीं पता था कि उसकी बुरी नजर उसकी पत्नी पर है और उसकी पत्नी भी उसकी बुरी नजर से अनभिज्ञ थी। दरोगाजी ने उसका बयान घटना के तीसरे दिन लिया था। उनको उसने तथा उसकी पत्नी ने सारी बाते बतायी थी। अपनी पत्नी के साथ जबरन होने वाली घटना बलात्कार करने वाली बात भी दरोगाजी को बतायी थी। उसकी दिन घटना के क्षेत्र का निरीक्षण भी किया था।

9. अभियोजन साक्षी सं0 3 सास पीडिता के द्वारा बयान दिया है कि घटना दिनांक 25.05.2022 की सुबह 9—9:30 बजे की है। उसके बेटे की बहू खेत पर चारा/निहार काटने लगभग 8—9 बजे के बीच घर से गयी थी। जब वह घर पर आयी तो उसने राते हुये उसे बताया कि मम्मी उसकी इज्जत सोनू उर्फ कालू ने खेत पर लूट ली है। वह अब कहीं की नहीं रही। यह कहते हुये कहा कि वह हिलकी बांधकर रोने लगी। उसने उसे बडी मुश्किल से चुप करा और पूछा तो उसने उसे बताया कि सोनू उर्फ कालू ने जबरदस्ती खेत पर पीछे आकर हाथ पकडे। वह उस समय चारा काट रही थी तो सोनू ने उसे जबरदस्ती पकड कर गिरा लिया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसने उसे यह भी बताया कि वह 9—9—30 बजे खेत पर भी उसी समय यह वाक्या हुआ है। सोनू हमारे पडौस में आता जाता रहता है। उसने उसे यह भी बताया कि सोनू कभी —2 उसके पति से भी बात करता था। इस घटना की रिपोर्ट लिखाने अपने पति के साथ थाने पर गई थी। दोनों घटना की रिपोर्ट लिखाने सुबह गये थे। पुलिस घर पर आयी थी। पुलिस ने उसका बयान भी लिया था। सोनू उर्फ कालू ने घटना कारित करते हुये रेखा के साथ गाली गलौंच भी की थी।

10. अभियोजन साक्षी सं0 4 डा0 आनन्द शमनम द्वारा बयान दिया

गया है कि दिनांक 25.05.2022 को रात लगभग 8:25 मिनट पर कां0 1465 दिप्ती उसके पास सामुदायिक अस्पताल डिबाई पर जहां उसकी डयूटी चिकित्सक अधिकारी के पद पर तैनात थी। उसी दिन मैने मजरूब का चिकित्सीय परीक्षण किया। मजरूव के परीक्षण के दौरान निम्न चोटे आयी गयी–

चोट नं0 1, अनेक लाल खरोचे जिनका नाप 0.5 **X** 0.3 से लेकर 0. 2 **X** 0.2 से0 मी0 दायें हाथ के नीचे हिस्से व सामने वाले हिस्से से दायीं कलाई से 02 से0मी0 ऊपर थे।

चोट नं0 2 चुटैल को कोई योनि स्राव अथवा रक्त स्राव नहीं था। फिर भी इसे विषेशज्ञ राय के लिए भेजा गया था। उसकी राय में चोट नं0 1 साधारण व ताजा थी और प्रतीत होती थी, किसी सख्त व असमतल सतह से आयी प्रतीत होती है। चोट नं0 2 के लिए विषेशज्ञ निरीक्षण की राय के लिए भेजे गये। पीडिता के चोट नं0 1 में जो खरोचें आयी है वह किसी के नाखून से भी खरोचने से आ सकती है। विवेचक ने उसका बयान लिया था। उसके द्वारा पीडिता को विशेषज्ञ की राय हेतु भेजा गया है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसे साक्षी ने बतौर प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। चिकित्सीय परीक्षण आख्या को साक्षी द्वारा बतौर प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है।

11. अभियोजन साक्षी सं05 निरीक्षक संदीप कुमार द्वारा बयान दिया है कि दिनांक 25.05.2022 को वह बतौर निरीक्षक थाना अनूपशहर पर तैनात था। उस दिन मु0 अ0 सं0 251/2022 अन्तर्गत घारा 323,354 भा0 द0 सं0 बनाम सोनू उर्फ कालू थाना डिबाई की विवेचना उसे प्राप्त हुई। उसके द्वारा केस डायरी का पर्चा नं0 प्रथम दिनांक 26.05.2022 को किता किया गया, मेडीकल रिपोर्ट का अवलोकन किया, वादिनी मुकदमा/पीडिता के बयान अंकित किये तथा वादिनी की निशान देही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल कर नक्शा नजरी तैयार किया, पीडिता के बयान धारा 164 द0 प्र0 सं0 का अवलोकन किया तथा साक्ष्य के आधार पर धारा 376 व 504 भा0 द0 सं0 की बढोत्तरी की और तमामी साक्ष्य के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सोनू उफ कालू के विरूद्ध आरोप पत्र

सं0 198/2022 अन्तर्गत धारा 323,376, 354, 504 भा0 द0 सं0 तैयार किया गया। साक्षी ने नक्शा नजरी को बतौर प्रदर्श क–5 एवं आरोप पत्र को बतौर प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है।

12. अभियोजन साक्षी सं06 कां0 क्लर्क अरूण कुमार द्वारा बयान दिया है कि दिनांक 25.08.2022 को वह बतौर कां0 क्लर्क थाना डिबाई पर तैनात था। उस दिन वादिया अपने पति के साथ करीब 19:36 बजे थाना हाजा पर लिखित तहरीर सहित उपस्थित आयी। तहरीर पर प्रभारी थाना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उसके द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर अ0 सं0 251/2022 धारा 323, 354 भा0 द0 सं0 बनाम सोनू उर्फ कालू थाना डिबाई किता की थी। नकल चिक उसने कम्प्यूटर पर टाईप की थी जिसका खुलासा जी0 डी0 संख्या 61 समय 19: 36 बजे पर किया गया था। साक्षी ने चिक एफ0 आई0 आर0 को बतौर प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने जी0 डी0 को बतौर प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया है।

13. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 द0 प्र0 सं0 अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक एवं गवाहान के बयानों को गलत बताते हुये, कहा कि वह निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उन्हें गांव की झूंठी रंजिश के कारण उसे झूठा फंसा दिया है। सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

14. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक् रूप से अवलोकन किया।

15. अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीढिता द्वारा अपने साक्ष्य से यह साबित किया गया है कि उसके साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार किया गया, जब शोर किया गया तो अभियुक्त सोनू उर्फ कालू वहॉ से भाग गया। पीढिता के कथनों की पुष्टि चिकित्सीय आख्या एवं ब्यान धारा 164 द0प्र0सं0 से होती है। जहॉ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में बलात्कार सम्बन्धी कथन न किये जाने का प्रश्न है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट सारभौमिक साक्ष्य नही है तथा उसमें समस्त कथनों का भी

उल्लेख किया जाना आवश्यक नही है। पीढिता की साक्ष्य ठोस एवं विश्वसनीय है, अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावें।

16 अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीढिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वंय लिखित तहरीर के आधार पर पंजीकृत करायी गयी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में बलात्कार किये जाने का कोई कथन नही है, केवल हाथ पकडकर छेंडखानी किये जाने का कथन है। पीढिता एवं उसके पति के द्वारा अपने ब्यान धारा 161 द0प्र0सं0 में भी बलात्कार किये जाने का कोई कथन नही किया गया है। सर्वप्रथम बलात्कार सम्बन्धी कथन घटना के सात दिन बाद विधिक सलाह से पीढिता द्वारा अपने ब्यान धारा 164 द0प्र0सं0 में किये गये है। यह महत्वपूर्ण सुधार उसके द्वारा अपने कथनों में किया गया है, जो कि विश्वसनीय नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है, साक्षीगण के साक्ष्य में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास है। पीढिता के साक्ष्य की पुष्टि किसी भी अन्य से नही होती है। पीढिता का साक्ष्य विश्वसनीय साक्ष्य नही है। ऐसे मामले में जहॉ कि मामला एकमात्र साक्षी के साक्ष्य पर आधारित हो तब ऐसे साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय होना होना आवश्यक है। किसी भी स्वतंन्त्र साक्षी का नाम पीढिता द्वारा नही बताया गया है जबकि उसके कथन के अनुसार शोर पर आस–पास के खेतों में काम कर रहे व्यक्ति घटनास्थल पर आ गये थे। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नही है और वह दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

17. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन को यह साबित करना है कि क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक को समय बजे खेत पर जब वह पशुओं के लिए चारा काट रही थी, उसी समय उसको पकडा एवं छेंडछाड करते हुए उसके साथ बलात्संग किया गया। उक्त तथ्य को साबित किये जाने के लिए अभियोजन की ओर से तीन तथ्य के साक्षी पीढिता, उसके पति एवं पीढिता की सास को प्रस्तुत किया गया है।

18. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में घटना प्रातः 9:30 बजे की प्रदर्शित की गयी है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट सायं 19:36 बजे पंजीकृत करायी गयी है, घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र छह किलोमीटर है, पीढिता का पति एवं उसके समस्त परिवारीजन घर

पर मौजूद थे। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल अभियुक्त के साथ पीढिता के अवैध सम्बन्धों के शक के आधार पर सलाह–मशविरा कर विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नही दिया गया है। अतः अभियोजन कथानक पर संदेह किये जाने का यह कारण प्रदान करता है।

19. अभियोजन के कथानक के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के लगभग दस घंटे के उपरांन्त पंजीकृत करायी गयी है। प्रदर्श क–7 नकल चिक एफ0आई0 आर0 के अनुसार घटनास्थल से थाने की दूरी करीब 6 किलोमीटर प्रदर्शित की गयी है। पीढिता द्वारा अपने साक्ष्य बतौर पी0डब्ल्यू0 1 में यह कथन किया गया है कि उसने घटना के बाद घर आकर समस्त बात अपने पति व अपनी सास को बता दी थी। साक्षी पी0डब्ल्यू0 3 पीढिता की सास द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके घर में चारों पुत्र अपनी पत्नी व परिवार के साथ रहते है। अतः पीढिता अपने पूरे परिवार के साथ निवास करती है। पीढिता द्वारा अपने साक्ष्य बतौर पी0डब्ल्यू0 1 में यह कथन किया गया है कि *''थाने दो बजे के करीब पहुॅच गये थे, मेरे साथ मेरे ससुर व हसबैंड थे। मुझे जानकारी नही है कि थाने पर कितनी देर रूकी थी। घर से थाने हम मोटर साईकिल से गये थे। थाने से जब मैं रिपोर्ट लिखाकर वापस आयी तब थोडा सा दिन था।''* अतः पीढिता के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि वह थाने पर रिपोर्ट लिखाने के लिए दो बजे के करीब पहुॅच गयी थी।

20. साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 पति पीढिता द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि *''थाने पर मैं और मेरी वाईफ गए थे। थाने पर हम बाईक से 15 मिनट में पहुॅच गये थे, समय ध्यान नही है। इस घटना की रिपोर्ट चौकी दौलतपुर पर लिखायी थी। रिपोर्ट पुलिस वालों ने लिखी थी। पत्रावली पर तहरीर प्रदर्श क–1 को देखकर कहा कि यह रिपोर्ट दौलतपुर चौकी के कमरे में जब मेरी पत्नी लिखा रही थी, मैं कमरे के बाहर खडा था। मैं 6वीं पास हूॅ। लिखना पढना जानता हूॅ। दौलतपुर चौकी पर पत्नी और मुझे शाम हो गयी थी। चौकी से हम शाम के समय दिन छिपे घर आये थे समय का नही पता।''* पत्रावली पर पीढिता की चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–4 मौजूद है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि घटना वाले

दिन ही समय 8:25 पी0एम0 पर कां0 दीप्ति द्वारा कराया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि पीढिता समय 8:25 पी0एम0 के बाद ही घर आयी होगी। साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट लिखाने के लिए पहले दौलतपुर चौकी गये। वहॉ पर तहरीर लिखी गयी और उसके बाद रिपोर्ट थाने पर दी गयी। पीढिता घटनास्थल से दस बजे के करीब घर वापस लौटकर आयी और उसके बाद वह रिपोर्ट लिखाने के लिए गये। यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण एक महिला के साथ अपराध से जुडा है, और ऐसे मामलों में सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि भी एक कारण होती है, जिसके कारण व्यक्ति पहले यह सोचते है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी जावें कि नही। पीढिता दस बजे के करीब घर लौटकर आयी और दो बजे थाने पर रिपार्ट दर्ज कराने के लिए पहुॅच गयी है तो यह नही कहा जा सकता है कि पीढिता द्वारा घटना की प्राथमिकी पंजीकृत कराने में विलम्ब किया गया। जहॉ तक प्राथमिकी सलाह–मशविरा कर पंजीकृत कराये जाने के तर्क का प्रश्न है तो यह प्राथमिकी प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्वीकार किये जाने योग्य नही है। तहरीर में बलात्कार किये जाने सम्बन्धी कथन नही किये गये है इसके अतिरिक्त तहरीर अत्यंन्त सक्षिप्त है, जिससे केवल इतना प्रदर्शित हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा एक संज्ञेय अपराध पीढिता के विरूद्ध किया गया है। यदि तहरीर सलाह– मशविरा करके पंजीकृत करायी जाती तो निश्चित रूप से तहरीर में बलात्कार किये जाने सम्बन्धी कथन अंकित किये जाते।

21. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना के किसी चक्षुदर्शी साक्षी को प्रस्तुत नही किया गया है तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास है एवं अपने कथनों में सुधार किया गया है। अभियोजन की ओर से उक्त तर्क का खंण्डन किया गया है कि बलात्संग के मामले में कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी हो, यह प्रायः संम्भव नही होता है। जहॉ तक विरोधाभास का प्रश्न है तो यह ऐसे विरोधाभास नही है जो कि मामले के आधार को प्रभावित करते हो।

22. पीढिता द्वारा तहरीर एवं अपने ब्यान धारा 161 द0प्र0सं0 में यह कथन किया गया है कि वह अपने खेत पर चारा काटने के लिए गयी थी, तो

अभियुक्त ने उसे अकेला देखकर उसका पीछा किया और जैसे ही वह चारा काटने लगी तो अभियुक्त ने उसका हाथ पकडा और छेंडखानी करने लगा, उसने शोर किया तो छोडकर भाग गया। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं ब्यान धारा 161 द0प्र0सं0 में ऐसा कोई कथन नही किया गया है कि घटना के समय कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी आ गया हो। केवल इतना कथन किया गया है कि अभियुक्त ने हाथ पकडकर छेंडखानी करने लगा और उसके द्वारा शोर मचाया तो अभियुक्त छोडकर भाग गया। उक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि एक तो बलात्कार किये जाने के आशय से जब भी अभियुक्त हमला करेगा तो यह संम्भावना नही रहती है कि उस समय कोई अन्य व्यक्ति वहॉ पर हो, क्योंकि अभियुक्त स्वंय एकान्त में ही ऐसा करेगा। वर्तमान प्रकरण में जब अभियुक्त ने पीढिता का हाथ पकडा तो यह स्वाभाविक है कि पीढिता यदि सहमति की पक्षकार नही है तो वह अपने बचाव में शोर करेगी जिससे कि कोई उसे आकर बचायें।

23. पीढिता द्वारा अपने साक्ष्य बतौर पी0डब्ल्यू0 1 में यह कथन किया गया है कि *''मैंने शोर शराबा किया तो वहॉ कुछ लोग आ गए वह मुल्जिम वहां से भाग गया।''* इससे पूर्व पीढिता द्वारा न तो तहरीर, न ब्यान धारा 161 द0प्र0सं0 एवं न ही अपने बयान धारा 164 द0प्र0सं0 में यह कथन किया है कि उसके शोर पर वहॉ पर कुछ व्यक्ति आ गए थे। पीढिता द्वारा अपने साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि *''घटना वाले खेत की मक्का की कोई रखवाली नही कर रहा था, न ही अमर सिंह व पप्पू के खेत की फसल मक्का की कोई रखवाली नही कर रहा था।''* अतः पीढिता द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में जो कथन किया है, उसके अनुसार घटनास्थल के आस–पास के खेतों में कोई व्यक्ति नही था। पीढिता द्वारा इस बिन्दु पर कोई प्रतिपरीक्षण नही किया गया है कि यदि उसके शोर पर कुछ व्यक्ति आ गए थे तो वह कौन व्यक्ति थे, वह उनको जानती थी कि नही जानती थी। घटनास्थल एक रास्ते के किनारे है जो कि एक सडक है, जैसा कि साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि घटनास्थल रास्ते के किनारे है जो कि दानपुर से डिबाई के लिए जाता है। यह रास्ता पक्की सडक है। नक्शा–नजरी में भी रास्ता के किनारे खेत में 10–25 मीटर अन्दर की घटना दिखायी गयी है। अतः यह स्वाभाविक हो सकता है कि जब शोर

किया और शोर पर अभियुक्त भाग गया, उसके बाद कुछ राहगीर आये हो। इस तथ्य की पुष्टि कि शोर पर कुछ व्यक्ति आये थे, पी0डब्ल्यू0 2 के साक्ष्य से भी होती है, जिसने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि पीढिता के शोर पर कुछ व्यक्ति आ गये थे। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया गया है कि *''मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि घटना के समय आस–पास के खेतों में लोग काम कर रहे थे, मैं नही जानता कि मौके पर कौन लोग आए थे।''* अतः इस साक्षी के साक्ष्य एवं पीढिता के साक्ष्य में यह विरोधाभास तो है कि आस–पास के खेतों में व्यक्ति कार्य कर रहे थे अथवा नही। यह विरोधाभास इसलिए आया है क्योंकि जो अमर सिंह एवं पप्पू के खेतों में कोई व्यक्ति कार्य न करने सम्बन्धी कथन पीढिता द्वारा किया गया है, वह इसलिए किया गया है क्योंकि यादराम, पप्पू एवं अमर सिंह के खेत सडक के एक ओर है और सडक के दूसरी ओर मुरारीलाल, देवेश वर्मा व ओमप्रकाश के खेत है। अतः इस संम्भावना में इंकार नही किया जा सकता है कि घ टनास्थल के पास सडक के दूसरी ओर के खेतों में व्यक्ति कार्य न कर रहे हो।

24. साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि जिस खेत में घटना कारित हुई अर्थात यादराम का खेत उसके द्वारा बटाई पर ले रखा था, इसकी पुष्टि साक्षी पी0डब्ल्यू0 3 द्वारा भी अपने साक्ष्य में की गयी है कि घटना वाला खेत उन्होने लगान पर लिया था, यही कथन पीढिता द्वारा भी किया गया है कि घटना वाला खेत पट्टे पर लिया था। अतः उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इस खेत में कोई अन्य व्यक्ति नही हो सकता था। पीढिता द्वारा शोर किया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वह अपने बचाव में शोर करेगी, अतः राहगीर एवं जो घटनास्थल के सामने की ओर खेत थे, वहॉ पर भी कोई हो सकता था, जो कि आया हो, लेकिन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति घटनास्थल पर आये थे, उनके नाम उसको पीढिता ने नही बताये थे। अतः जब यह ही साक्ष्य से साबित नही है कि कौन व्यक्ति शोर सुनकर आया था, तो उसे साक्ष्य में प्रस्तुत कैसे किया जा सकता है।

25. प्रस्तुत प्रकरण एकमात्र साक्षी के साक्ष्य पर आधारित है। यह सुस्थापित विधि है कि अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर भी

अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है, यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वसनीय है तो उसके साक्ष्य की सम्पुष्टि की भी आवश्यकता नही है, और ऐसे एकमात्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा ए0आई0आर0 2013 एस0सी0 2207 राजस्थान राज्य वनाम बाबू मीणा में प्रतिपादित विधि व्यवस्था की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मार्गदर्शक वाद में भी यही विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोक्त्री का साक्ष्य यदि विश्वसनीय पाया जाता है तो उसके ऐसे एकमात्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्ध किया जा सकता है। उक्त मार्गदर्शक वाद के तथ्यों में अभियोक्त्री द्वारा यह कथन किया गया था कि उसके साथ समय 6:30 बजे बलात्कार किया गया, तथा उसके शोर पर भी कोई उसे बचाने के लिए नही आया। अभियोक्त्री के साक्ष्य का समर्थन भवन स्वामी द्वारा नही किया गया, जिसमें कि कथित रूप से बलात्कार किया गया।

26. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा ए0आई0आर0 2018 एस0सी0 4020 डोला उर्फ डोलागोविन्दा प्रधान व अन्य वनाम उडीसा राज्य में प्रतिपादित विधि व्यवस्था की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया है। उपरोक्त मार्गदर्शक वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ पर अभियोक्त्री के पास अभियुक्त से बदला लेने का मजबूत हेतुक हो, तथा अभियोक्त्री द्वारा केवल आवाज से अभियुक्त की पहिचान की गयी हो, अभियोक्त्री का सम्पूर्ण साक्ष्य विश्वसनीय नही है, तो ऐसे मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध नही किया जा सकता है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा ए0आई0आर0 2020 एस0सी0 985 संतोष प्रसाद उर्फ संतोष कुमार वनाम बिहार राज्य में प्रतिपादित विधि व्यवस्था की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया है, उक्त मार्गदर्शक वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मामले कि परिस्थितियों यदि ऐसी है कि जिनमें जिस प्रकार से घटना का होना बताया गया है, उनमें घटना का होना विश्वसनीय नही है तो ऐसे मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध नही किया जा सकता है। अतः उपरोक्त मार्गदर्शक वादों में

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों के आलोक में यह स्पष्ट है कि एकमात्र अभियोक्त्री के साक्ष्य पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, यदि ऐसी साक्ष्य विश्वसनीय है, लेकिन ऐसे मामलों में एकमात्र अभियोक्त्री की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नही किया जा सकता है जिनमें कि अभियोक्त्री की साक्ष्य अविश्वसनीय हो तथा एवं अभियुक्त से बदला लेने का कोई मजबूत हेतुक हो। साथ ही ऐसे मामलों में भी अभियुक्त को दोषसिद्ध नही किया जा सकता है, जिनमें कि अभियोजन द्वारा जिस प्रकार से घटना का होना बताया गया है, वह उस प्रकार से घटना का होना संम्भावित न हो।

27. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से घटना यह बतायी गयी है कि पीढिता जब खेत पर चारा लेने गयी तो अभियुक्त ने उसे पकडा तथा उसके साथ बलात्कार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त से पीढिता अथवा उसके परिवार की कोई रंजिश नही थी, बल्कि पीढिता के पति से उसकी बात–चीत होती रहती थी तथा पीढिता के पति के तहेरे भाई से अभियुक्त की मित्रता थी और वह उसके पास आता रहता था। पीढिता से भी अभियुक्त की ओर से दौरान प्रतिपरीक्षण सुझाव दिया गया है कि पीढिता के परिवारीजन को पीढिता एवं अभियुक्त के मध्य अवैध सम्बन्धों का शक हो इसलिए उनके द्वारा पीढिता के साथ मारपीट कर झूठा मुकदमा लिखाया हो। उक्त सुझाव से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अभियुक्त द्वारा यह प्रयास किया गया है कि पीढिता एवं अभियुक्त के मध्य सम्बन्ध थे, लेकिन दौरान प्रतिपरीक्षण इस पर कोई प्रतिपरीक्षण केवल सुझाव देने के अतिरिक्त नही किया गया। सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई साक्ष्य नही आया है कि पीढिता अथवा उसके परिवार को अभियुक्त को झूठा नामित करने का कोई भी कारण हो। अभियुक्त पीढिता के पति से बातचीत करता था, तथा पीढिता के पति के तहेरे भाई का मित्र भी था, इसलिए इस संम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है कि अभियुक्त पीढिता पर कुदृष्टि रखता हो साथ ही अभियुक्त को ऐसी गलतफहमी बातचीत से हो गयी हो कि पीढिता उसकी ओर आकर्षित है, और उसके द्वारा इसी आकर्षण में पीढिता के साथ बलात्कार किये जाने के लिए उसका हाथ पकडा हो।

28. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत

किया गया है कि साक्षीगण के साक्ष्य में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास है। अपने तर्क के समर्थन में कथन किया गया है कि साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 पीढिता एवं पी0डब्ल्यू0 3 पीढिता की सास द्वारा बताया गया है कि घटना के बाद पीढिता द्वारा अपने पति एवं अपनी सास को घटना के बारे में बताया था जबकि पी0डब्ल्यू0 2 पति पीढिता यह कहता है कि पीढिता द्वारा केवल उसको ही बताया गया था। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि पीढिता द्वारा घटनास्थल वाले खेत में बाजरा की फसल होना बताया गया है, जबकि शेष साक्षीगण द्वारा घटना वाले खेत में मक्का की फसल होने की बात बतायी है। उक्त तर्क के सम्बन्ध में साक्षीगण के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पी0डब्ल्यू0 1 पीढिता द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि *''मैंने घटना के बारे में परिवारीजन व सास को बताया।''* इस साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया गया है कि *''मेरे घर में मेरे अलावा, सास, ससुर, व तीन देवर व तीनों देवरानियां रहती है।''* आगे कथन किया गया है कि *''मैंने घर पहुॅचते ही अपने पति को बलात्कार की बात बतायी थी थी। मैंने पति के अलावा बलात्कार की बात अन्य किसी को नही बतायी।''* साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 पीढिता के पति द्वारा अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि *''उसने मुझे और मेरी मॉ..... को अपने साथ हुई घटना को बताया।''* इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि *''जब मेरी पत्नी घर पर लौटकर आई थी तो उस समय घर पर मैं और मम्मी घर पर थी।''* आगे कथन किया है कि *''घटना के बाद जब मेरी पत्नी घर पर आयी थी तो उसने मुझे सारी बात बताई थी।''* पी0डब्ल्यू0 3 पीढिता की सास द्वारा यह कथन अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में किया है कि *''जब वह घर पर आई तो उसने रोते हुए मुझे बताया कि मम्मी मेरी ईज्जत सोनू उर्फ कालू ने खेत पर लूट ली है। मैं कहीं की नही रही। यह कहते हुए हिचकी बॉधकर रोने लगी।''*

29. साक्षीगण की उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जब पीढिता खेत से वापस लौटकर आयी उस समय घर पर उसका पति एवं उसकी सास मौजूद थे। इस बिन्दु पर उनके साक्ष्य में कोई भी विरोधाभास नही है। इस तथ्य की पुष्टि इससे भी होती है कि पीढिता का पति उसके साथ प्राथमिकी पंजीकृत कराने के लिए मोटर साईकिल लेकर

साथ गया है। अतः पीढिता द्वारा जब घर वापस लौटकर घटना के बारे में बताया, उस समय घर पर पीढिता का पति भी मौजूद था और उसकी सास भी मौजूद थी, उसके द्वारा विशिष्टतः पति को बताया या कि सास को बताया, इस बिन्दु पर विरोधाभास हो सकता है, लेकिन जिस समय बताया वहॉ पर पति एवं सास दोनों मौजूद थे, इस बिन्दु पर कोई विरोधाभास नही है। यह कोई विरोधाभास नही है, बल्कि साक्ष्य को अधिक स्पष्ट रूप से नही बताया गया है, इसलिए इस बिन्दु पर अस्पष्टता है, विरोधाभास नही।

30. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीढिता द्वारा घटना स्थल पर बाजरे की फसल बतायी है, जबकि अन्य साक्षीगण द्वारा मक्का की फसल बतायी है। इस बिन्दु पर यह स्पष्ट है कि पीढिता द्वारा यह कथन किया गया है कि वह बाजरे की फसल काटने के लिए गयी थी। वह फसल 2–4 मिनट ही काट पायी थी, तभी अभियुक्त आया। पीढिता द्वारा यह भी बताया गया है कि आस–पास के खेतों में मक्का की फसल थी। साक्षी पी0डब्ल्यू0 3 पीढिता की सास द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि वह खेत पर नही गयी। अतः खेत में क्या फसल थी, इस सम्बन्ध में इस साक्षी के साक्ष्य का कोई महत्व नही है। पीढिता के पति द्वारा यह कथन किया है कि जिस खेत में घटना घटना घटी उस खेत में मक्का खडी थी, बाकी में बाजरा था। साक्षी पीढिता द्वारा यह कथन किया गया है कि वह बाजरा फसल काटने के लिए गयी थी। विवेचक द्वारा यह अपने साक्ष्य में बताया गया है कि जिस समय मौका मुआयना किया गया था, उस समय घटना वाले खेत में मक्का व बाजरा की फसल खडी थी। अतः सभी साक्षीगण द्वारा यह साबित किया गया है कि खेत पर बाजरे की फसल थी, एवं मक्का की फसल भी आस–पास के खेतों में थी। अतः यह कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नही है, यह महत्वपूर्ण विरोधाभास तब होता, जब कि खेत पर मक्का या बाजरा की फसल ही नही होती, या कि खेत खाली होते।

31. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीढिता द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 एवं एवं अपने ब्यान धारा 161 द0प्र0सं0 में तथा पी0डब्ल्यू0 2 पीढिता के पति द्वारा जो ब्यान धारा 161 द0प्र0सं0 विवेचक को दिये गये है, उनमें बलात्कार किये

जाने सम्बन्धी कथन नही किये गये है। प्रथम बार सात दिन के उपरांन्त पीढिता द्वारा अपने ब्यान धारा 164 द0प्र0सं0 में बलात्कार किये जाने सम्बन्धित कथन किये गये है। पीढिता द्वारा चिकित्सक को भी मेडीकल के समय बलात्कार किये जाने सम्बन्धी कथन नही किये गये है, न ही चिकित्सीय परीक्षण से पीढिता के साथ बलात्कार किये जाने की पुष्टि होती है। अतः पीढिता का साक्ष्य विश्वसनीय नही है, और अभियुक्त के विरूद्ध मामला साबित नही होता है।

32. उपरोक्त तर्क के आलोक में यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर प्रदर्श क–1 में केवल हाथ पकडने व छेंडछाड सम्बन्धित कथन किये गये है, कोई भी बलात्कार किये जाने सम्बन्धी कथन नही किये गये है। पीढिता एवं उसके पति के ब्यान धारा 161 द0प्र0सं0 में भी यही कथन किये गये है। अतः यह देखना है कि क्या पीढिता द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं ब्यान धारा 161 द0प्र0सं0 में बलात्कार किये जाने सम्बन्धी कथन किन कारणों से अंकित नही कराये गये एवं क्या इस कारण से पीढिता का सम्पूर्ण साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाएगा अथवा केवल उसके साक्ष्य का केवल उतना भाग जिसमें बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में कथन किये गये है, वह अविश्वसनीय हो जाएगा। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या दोनों साक्ष्य पृथक–पृथक किये जाने योग्य है।

33. तहरीर प्रदर्श क–1 में पीढिता द्वारा यह कथन किया गया है कि *''दिनांक 25.05.2022 को समय करीब सुबह 9:30 बजे प्रार्थिया खेत पर जा रही थी अचानक सोनू उर्फ कालू पुत्र छोटेलाल निवासी दानपुर ने प्रार्थिया का हाथ पकड लिया और छेंडछाड करने लगा। मैंने जान बचाकर और शोर मचाकर भाग आई।''* पीढिता द्वारा अपने ब्यान धारा 161 द0प्र0सं0 में विवेचक को जो ब्यान दिया गया है उसके सम्बन्ध में विवेचक पी0डब्ल्यू0 5 निरीक्षक संतोष तोमर द्वारा कथन किया गया है कि *''उसने अपने ब्यान में बताया था कि हाथ पकडकर छेंडखानी करने लगा और शोर करने पर भाग गया। यह ब्यान घटनास्थल पर अंकित किया था। वादिया के पति का भी ब्यान घटनास्थल पर लिया था। पति द्वारा भी अपने ब्यान में बलात्कार किये जाने सम्बन्धी कथन नही किये थे।''* अतः उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पीढिता द्वारा सर्वप्रथम अपने ब्यान धारा 164 द0प्र0सं0 में दिनांक 01.06.2022

को यह कथन किया गया कि *''मेरे साथ छेंडखानी करने लगा। सोनू ने मुझे जबरदस्ती पकडा और मेरे साथ बलात्कार किया।''* अतः सर्व प्रथम पीढिता द्वारा बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में कथन घटना के सात दिन बाद अपने ब्यान धारा 164 द0प्र0सं0 में किया गया।

34. पीढिता द्वारा अपनी साक्ष्य बतौर पी0डब्ल्यू0 1 में यह कथन किया गया है कि *''मैंने वहां पर तहरीर दी थी। तहरीर में मैने सारी बातें लिखवा दी थी। मैंने छेंडछाड व बलात्कार वाली बात लिखा दी थी। तहरीर मैंने थाने पर लेडीज के माध्यम से तहरीर लिखायी थी। जो मैंने बोला था वही बात उन्होने लिखी थी।''* अतः पीढिता के उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त होता है कि पीढिता द्वारा तहरीर लिखाते समय उसके साथ बलात्कार किये जाने सम्बन्ध में कथन नही किये गये थे। ऐसा भी नही है कि पुलिस द्वारा तहरीर में बलात्कार के सम्बन्ध में कथन न किये जाने के लिए कोई दबाब बनाया गया हो। आगे पीढिता द्वारा यह कथन किया है कि मैं घबरायी हुई थी, इसलिए सारी बातें नही बता पायी थी। पीढिता द्वारा बलात्कार सम्बन्धी कथन अपनी तहरीर में अंकित न कराये जाने का कारण यह बताया है कि वह उस समय घबरायी हुई थी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पीढिता खेत से घर पर आयी थी, जहॉ पर उसके परिवारीजन पति, सास व ससुर मिले थे। ससुर व पति उसके साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने के लिए गये थे। अतः उसका यह कथन कि वह घबरायी हुई थी, स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

35. यदि पीढिता के इस कथन को तर्क के रूप में मान लिया जावें कि वह तहरीर लिखाते समय घबरायी हुई थी, तो उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के समय डॉक्टर को भी बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में नही बताया गया। पीढिता का ब्यान धारा 161 द0प्र0सं0 दिनांक 27.05.2022 को उसके घर पर आकर विवेचक द्वारा अंकित किया गया है। उसके द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि *''लेडी कांस्टेबल ने मेरा ब्यान लिया था। मैंने उसे अपने साथ हुई समस्त घटना बता दी थी।''* साक्षी पढी–लिखी है, उसके द्वारा हस्तांक्षर किये गये है, उसके द्वारा अपने ब्यान धारा 161 द0प्र0सं0 में ऐसा कोई कथन नही किया गया है कि उसके साथ बलात्कार किया गया। पीढिता के पति पी0डब्ल्यू0 2 द्वारा यह कथन किया गया है कि

खेत से आकर पीढिता ने सारी बात बता दी थी। अतः इस साक्षी को भी यदि बलात्कार किया गया था तो इसकी जानकारी पीढिता के खेत से वापस आते ही हो गयी थी। इस साक्षी ने यह कथन किया गया है कि उसने अपनी पत्नी के बलात्कार के सम्बन्ध में विवेचक को बता दिया था, जबकि विवेचक पी0डब्ल्यू0 5 द्वारा यह कथन किया गया है कि उसे पी0डब्ल्यू0 2 द्वारा बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में नही बताया था। साक्षी पी0डब्ल्यू0 5 विवेचक का कथन अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है क्योंकि जिस दिन पीढिता का ब्यान विवेचक द्वारा अंकित किया गया है उसी दिन उसके पति का भी ब्यान अंकित किया गया है। जब पीढिता द्वारा ही अपने ब्यान में यह नही बताया था कि उसके साथ बलात्कार किया गया है तो उसके पति के ब्यान में भी बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में कथन करना संम्भव नही है।

36. पीढिता का चिकित्सीय परीक्षण उसी दिन डॉक्टर द्वारा सी0एच0सी0 डिबाई पर किया गया है तथा उसके उपरांन्त उसकी आयु निर्धारण के लिए भी जॉच की गयी है। पीढिता द्वारा चिकित्सक को भी यह कथन नही किया गया कि उसके साथ बलात्कार किया गया। ब्यान धारा 164 द0प्र0सं0 से पूर्व पीढिता को तीन बार अवसर था कि वह यह बताये कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उन तीनों ही अवसरों पर उसके द्वारा यह कथन नही किया गया कि उसके साथ बलात्कार किया गया। पीढिता द्वारा बलात्कार की घटना बाजरे के खेत में बतायी गयी है। विवेचक द्वारा घ टनास्थल का निरीक्षण करते समय बाजरे के खेत में फसल टूटी हुई नही पायी गयी है जबकि पीढिता द्वारा अपना बचाव करने एवं अभियुक्त द्वारा बलात्कार किये जाने पर जबकि यह घटना पीढिता के अनुसार 15 मिनट तक चली थी तो यह फसल आवश्यक रूप से टूटी हुई पायी जाती।

37. पीढिता के घटना के समय पहने हुए कपडे विवेचक द्वारा नही लिए गये है, जबकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य था। इस सम्बन्ध में पी0डब्ल्यू0 2 पति पीढिता एवं पी0डब्ल्यू0 3 सास पीढिता के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास है कि कपडे विवेचक द्वारा लिए गये कि नही। पी0डब्ल्यू0 2 पति पीढिता द्वारा यह कथन अपनी साक्ष्य में किया गया है कि चौकी पर पत्नी के दूसरे कपडे मॅगाये थे वह उसने बदल लिए थे। जो कपडे घटना के समय पहने थे वह चौकी पर ही दे दिए थे। पी0डब्ल्यू0 3 द्वारा

कथन किया गया है कि थाने पर बहू वहीं कपडे पहनकर गई थी जो घटना के समय पहन रखे थे। मैंने यह नही देखा कि उन कपडों पर खून लगा था या नही। मेरी बहू ने बलात्कार करने वाली बात चौकी पर लिखायी होगी। जो कपडे पहनकर वह गई थी वहीं कपडे पहनकर वह वापस आयी थी। अतः साक्षी पी0डब्ल्यू0 2 के कथन का खंडन कि कपडे विवेचक द्वारा ले लिए थे, पी0डब्ल्यू0 3 की साक्ष्य से हो जाता है, जिसकी साक्ष्य की पुष्टि पी0डब्ल्यू0 5 विवेचक की साक्ष्य से होती है, कि उसके द्वारा कपडे इसलिए नही लिए क्योंकि मामला धारा 354 भा0द0सं0 में पंजीकृत हुआ था, और कपडे डॉक्टर द्वारा लिए जाते है।

38. पीढिता के चिकित्सीय परीक्षण में केवल उसके शरीर की जाहिरा चोट का परीक्षण किया गया है, पीढिता द्वारा यह चिकित्सक को नही बताया गया कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। यदि पीढिता द्वारा यह बताया जाता तो उसके उपरांन्त महिला चिकित्सक द्वारा नियमानुसार चिकित्सीय परीक्षण किया जाता। अतः पीढिता के इस कथन की पुष्टि कि उसके साथ बलात्कार किया गया, किसी भी साक्ष्य से नही होती है। पीढिता के चिकित्सीय परीक्षण के समय कोई योनि स्राव अथवा रक्त स्राव नही था, यह चिकित्सक पी0डब्ल्यू0 4 की साक्ष्य से साबित होता है। जहॉ तक पीढिता के इस कथन कि उसके द्वारा घबराहट में अपनी तहरीर में बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में नही लिखाया था, यह भी साबित नही होता है क्योंकि तहरीर लिखाते समय उसका पति मौजूद था। घर पर सबको बता दिया था। वह रिपोर्ट करने गयी थी, तो फिर ऐसा कोई कारण नही था कि वह यदि बलात्कार किया जाता तो वह बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी तहरीर में अंकित नही करती। दो दिन बाद उसके ब्यान धारा 161 द0प्र0सं0 अंकित गये थे, वह भी उसके घर पर आकर विवेचक ने अंकित किये है, अतः दो दिन बाद तो घबराहट नही रही होगी, उस समय पीढिता बता सकती थी कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। अतः पीढिता का यह कथन कि उसके बलात्कार किया गया, साबित नही होता है और यह कथन बाद में सोच—समझकर अभियुक्त को अधिक दण्ड दिलाये जाने के लिए किया गया है।

39. पीढिता द्वारा अपने साक्ष्य में यह साबित किया गया है कि वह

जब खेत पर बाजरा की फसल काट रही थी, उसी समय अभियुक्त आया और उसके द्वारा पीढिता का हाथ पकडा और छेंडखानी की। इस बिन्दु पर पीढिता के साक्ष्य में कोई भी विरोधाभास अथवा विसंगति नही है। पीढिता के उक्त कथन की पुष्टि कि उसका हाथ पकडा, चिकित्सीय साक्ष्य प्रदर्श क–3 व 4 से होती है, जिसमें कि पीढिता की दाहिने हाथ की कलाई से दो सेमी0 ऊपर कई सारी खरोंच मौजूद थी। यह खरोंच उसे नाखूनों से आ सकती है, यह चिकित्सक द्वारा अपनी साक्ष्य बतौर पी0डब्ल्यू0 4 में साबित किया गया है। अतः अभियुक्त सोनू द्वारा जब पीढिता का दाहिना हाथ पकडा गया, उसे तब यह चोट आयी। पीढिता के पास चारा काटने के लिए हॅसिया भी था, लेकिन चूॅकि दाहिना हाथ अभियुक्त द्वारा पकडा गया, इसलिए वह अपना बचाव हॅसिया से नही कर पायी। यह चोट उसे घटना में आ सकती है, यह चिकित्सक के साक्ष्य से साबित होता है। पीढिता का यह कथन कि उसके साथ हाथ पकडा और छेंडछाड की, युक्त–युक्त संदेह के परे साबित होता है तथा उसका उक्त कथन उसके दूसरे कथन कि उसके साथ बलात्कार किया गया, से पृथक किया जा सकता है, जो कि साबित नही है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354 एवं धारा 323 भा0द0सं0 का आरोप युक्त–युक्त रूप से साबित होता है।

40. उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अभियोजन अभियुक्त सोनू उर्फ कालू के विरूद्ध धारा 354, 323 भा0द0सं0 के आरोपों को युक्त–युक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है, जिसके लिए दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। शेष आरोपों धारा 376, 504 भा0 द0 सं0 से अभियुक्त सोनू उर्फ कालू दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अभियुक्त सोनू उर्फ कालू जमानत पर उपस्थित है। अतः उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। उसका बंधपत्र निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अतः पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंचबाद पेश हो।

दिनांकः 01.04.2025

(विनीत चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
आई.डी. नं. यू.पी. 6365

<u>लंच बाद</u>

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः प्रस्तुत हुई। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन एवं अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्त को सुना एवं अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ अकेले में बलात्कार किये जाने के आशय से शीलभंग का अपराध किया गया है। अतः अभियुक्त को अधिकाधिक दण्ड से दण्डित किया जावें। अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह गरीब है नवयुवक है। अतः दण्ड के समय उदारता बरती जावे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दण्ड के बिन्दु पर **सुरजीत सिंह वनाम नाहरराम व अन्य 2004 एस0सी0सी0 (क्रिमिनल) 1801** पर अवधारित किया गया है कि सजा के विनिश्चय के लिए किन तथ्यों पर विचार करना चाहिए। अभियुक्त के प्रति अनावश्यक सहानुभूति और कम सजा दिये जाना न्यायिक व्यवस्था को हानि पहॅुचाना है और इससे आम जनता का विधि एवं समाज पर विश्वास कम होता है। प्रत्येक न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और उसमें अर्न्तगत दिये गये कार्य को देखते हुए समुचित सजा दें। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों एवं सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था करें और विधि इन सामाजिक हितो में उनके अर्न्तगत विरोधी दावों को संतुलित करती है और नियंन्त्रण रखती है। न्यायालय का उद्देश्य समाज की सुरक्षा करना तथा आपराधिक गतिविधियां को समाप्त करने का होता है और यह उद्देश्य समुचित सजा देते हुए प्राप्त किया जा सकता है।

अतः उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त को निम्न दण्ड का आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सोनू उर्फ कालू को सत्र वाद सं0 120 सन 2022 मु0 अ0 सं0 251 सन 2022 थाना डिबार्ड जनपद बुलन्दशहर अर्न्तगत धारा 354 भा0द0 सं0 में तीन वर्ष के कारावास एवं 5,000/ रू0 (पांच हजार रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त सोनू उर्फ कालू को सत्र वाद सं0 120 सन 2022

मु0 अ0 सं0 251 सन 2022 थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर अर्न्तगत धारा 323 भा0द0 सं0 में छः माह के कारावास एवं 5,00 रू0 (पांच सौ रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त पर अधिरोपित जुर्माना धनराशि में से वसूल पाये जाने पर बतौर प्रतिकर अधिरोपित अर्थदण्ड में से आधी धनराशि पीडिता को प्राप्त होगी।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में इस प्रकरण में कारागार में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

सभी सजाऐं साथ साथ चलेंगी।

निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अभियुक्त सोनू उर्फ कालू को अविलम्ब प्रदान की जावें।

दिनांकः 01.04.2025

(विनीत चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
आई.डी. नं. यू.पी. 6365

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्तांक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 01.04.2025

(विनीत चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
आई.डी. नं. यू.पी. 6365